संख्या– आरएफ.103/नौ–9–2014–11आरएफ/10टीसी

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक/एसएलएनए,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9

लखनऊः दिनांकः ०५ मार्च, 2014

विषयः– जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में **'नया सवेरा नगर विकास योजना'** से निकाय अंश की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–पीएमयू/19/286(3)/10, दिनांक 04.02.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत मेरठ सीवरेज परियोजना,जोन–5 व 7 हेतु तृतीय किश्त के सापेक्ष निकाय अंश की धनराशि ₹1394.175 लाख (**₹तेरह करोड़ चौरान्नबे लाख सत्रह हजार पॉच सौ मात्र**) की वित्तीय वर्ष 2013–14 में नया सवेरा नगर विकास योजना से निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(धनराशि लाख ₹ में)

परियोजना का नाम	स्वीकृत मूल लागत	संशोधित परियोजना की लागत	तृतीय किश्त के सापेक्ष निकाय अंश की धनराशि
मेरठ सीवरेज परियोजना, जोन–5 व 7	18589.00	23102.30	1394.175

(₹तेरह करोड़ चौरान्नबे लाख सत्रह हजार पॉच सौ मात्र)

(1)– यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी। अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित निकाय की औपचारिक सहमति/अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(2)– स्वीकृत धनराशि को एक मुश्त आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा। धनराशि का कोषागार से आहरण कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3)– स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान, आदि का कार्य निकाय के संबंधित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे और धनराशि आहरण एवं व्यय कराने वाले अधिकारी धनराशि के सदुपयोग एवं ऋण की शासन को अदायगी के लिए व्यक्तिगत/संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगें। जिलाधिकारी धनराशि के समुचित सदुपयोग एवं कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

(4)– प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित

आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(5)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के निमित कोई सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(6)– जिन कार्यो के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा।

(7)– स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(8)– स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(9)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय तथा जिलाधिकारी का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

(10)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् "नया सवेरा नगर विकास योजना" का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

(11)– उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश जारी/निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(12)– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मासिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(13)– वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण सहित शासन/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को यथाविधिक शासन की स्वीकृति प्राप्त करें।

(14)– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को दिनांक 31 मार्च, 2014 तक उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुदान की संख्या–37 के लेखाशीर्षक–"6215–जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज–आयोजनागत– 02–मल–जल तथा सफाई–191–नगर निगमों को सहायता–04–नया सवेरा नगर विकास योजना–30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– ई–8–1340–दस/14 , दिनांक 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

संख्या–आरएफ.103(1)/नौ–9–2014–11आरएफ/10टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. जिलाधिकारी, मेरठ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त,नगर निगम,मेरठ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
अनु सचिव।